(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTEE OF INDIA PART-I SECTION II)

No. I-14011/19/2017-IPS.I (II) Government of India / भारत सरकार Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय

0 1 JUN 2018

New Delhi, the May, 2018

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Haryana Police Service to the Indian Police Service on probation and to allocate them to the Haryana Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954 :-

Select List 2016

S.No.	Name(S/Shri)	Date of Birth
1.	Arun Kumar	08.02.1960
2.	Dheeraj Kumar	10.04.1976

The aforesaid officers will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 and the officers will obtain induction training as per sub rule 5(4) of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 as amended dated 10.05.2011.

The appointments will take effect from the date of issue of this notification. 3.

(Ajay Kumar Singh)

Under Secretary to the Government of India

Tele No. 2309 4517

To

Andlactic

The Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064

n 1 JUN 2018

No.I-14011/19/2017-IPS.I(II)

Dated, the

May, 2018

A copy each is forwarded to: -

- The Chief Secretary, Government of Haryana, Chandigarh. {Kind Attn. Shri 1. Ghanshyam Dutt Swami, Deputy Secretary (C), (Home Department)} with 2 spare copies for concerned officers.
- The Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New 2. Delhi. (Kind Attn. Shri Shankar Lal, Under Secretary, AIS) for information.
- The Accountant General, Haryana, Chandigarh. 3.
- The Director General of Police, Haryana, Chandigarh. 4.
- The Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad. 5.
- IPS-II, III, IV / IPS-ACR Cell / Civil List Seat / Seniority Seat.
 - SO (IT) for placing on MHA IPS Portal (under head > IPS Cadre Management >

Appointment by promotion of SPS officer > Appointment).



{भारत के राजपत्र, भाग |, खण्ड (।।), में प्रकाशनार्थ} सं. आई—14011/19/2018—आईपीएस—1(II)

भारत सरकार गृह मंत्रालय

0 1 JUN 2018

नई दिल्ली, दिनांक मई, 2018

अधिसूचना

राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नित द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप—विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप—विनियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिरयाणा पुलिस सेवा के निम्निलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में परिवीक्षा पर नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप—विनियम (1) के अन्तर्गत हिरयाणा संवर्ग प्रदान करते हैं :—

चयन सूची-2016

कम सं0	अधिकारियों के नाम (सर्व / श्री)	जन्म तिथि
1.	अरुण कुमार	08.02.1960
2.	धीरज कुमार	10.04.1976

- 2. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनांक 10.05.2011 के तहत अधिकारियों को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।
- 3. यह नियुक्तियाँ अधिसूचना के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

34.44

(अजय कुमार सिंह) अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 2309 4517

सेवा में,

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली— 110064

0 1 JUN 2018 दिनांक मई, 2018

सं. आई—14011 / 19 / 2017—आईपीएस—1(II) नईदिल्ली,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषितः

- मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चंडीगढ (ध्यानार्थः श्री घनश्याम दत्त स्वामी, उप सचिव, (सी) (गृह—विभाग)} को संबंधित अधिकारियों हेतु 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- 2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग (ध्यानार्थः श्री शंकर लाल, अवर सचिव, ए.आई.एस), धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
- 3. महालेखाकार, हरियाणा, **चंडीगढ**।
- 4. पुलिस महानिदेशक, हरियाणा, चंडीगढ।
- निदेशक, सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद।
- 6. आई.पी.एस. II, III, IV / आई पी एस ए.सी.आर. सेल / सिविल लिस्ट सीट।
- 7. अनुभाग अधिकारी (आई.टी.) प्रकोष्ठ, उपयुक्त अधिसूचना गृह मंत्रालय की (वेबसाइट > आईपीएस कैंडर मेनेजमेन्ट > नियुक्ति एसपीएस से आईपीएस > नियुक्ति) में प्रकाशित करने हेतु।

(अजय कुमार सिंह) अवर सचिव, भारत सरकार